राजस्थान-सरकार कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज. ''कर-भवन'', अजमेर

क्रमांकः एफ-७(३९)जन/२०१३/ 4376 - 4825

दिनांकः 07·03·13

प्रतिलिपि :- राजस्थान वित्त विधेयक, २०१३ के अध्याय-४ में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2, 35 एवं 36, धारा 56, धारा 63(क), धारा 85 में किसे गये संशोधनों एवं अध्याय-5 में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 की धारा-16 में संशोधन कर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की प्रतिटन अधिकतम दर ''पाँच सौ रूपये'' के स्थान पर ''पाँच हजार रूपये'' किये जाने के प्रावधानों की छाया प्रति अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है :-

- शासनं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 1 -
- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान। 2-
- वरिष्ठ लेखांपरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.५/कार्यात्वय म (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के
- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर ।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
- उप विधि परामशी/सहायक विधि परामशी, मुख्यालय, अजमेर।
- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
- 9- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
- १०- समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान को पालनार्थ।
- ।।- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कॅलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
- १२- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
- 13- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपन्न की प्रति विभाग की बेवसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 1.4- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
- 15- निजी-सचिव, महानिरीक्षक निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
- १६- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल) अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित, या उसके व्ययनाधीन रखी गयी कोई भूमि हो या कोई भवन या उसका कोड भाग स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर स्थित हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्ट प्रभार की एक प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो ऐसी भूमि या, यथास्थिति, भवन के संबंध में संधारित अभिलेखों में उस सूचना को प्रविष्ट करेगा।"।

13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 63-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 63 के पश्चात् और विद्यमान धारा 64 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"63-क. स्टाम्पों का अविधिमान्य होना और व्यावृत्ति.- धारा .58, 61. 62 और 63 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी.-

- (क) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जिसे राज्स्थान विंत अधिनियम. 2013 (2013 का अधिनियम सं) के प्रारंभ की तारीख (जिसे इसमें आगे "उक्त तारीख" कहा गया है) को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है, उसके क्रय की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में लिया जायेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा कोई भी स्टाम्प. जो क्रय किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में मोक का कोई दावा नहीं किया गया हो, अविधिमान्य हो जायेगा:
- (ख) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो उक्त तारीख से पूर्व क्रय किया गया हो किन्तु उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में किसी मोक का दावा नहीं किया गया हो, उक्त तारीख से छह मास की कालाविध के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उपयोग में लिया जा सकेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसा स्टाम्प, जिसे छह मास की पूर्वाक्त कालाविध के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया या प्रस्तुत नहीं किया गया है, अविधिमान्य हो जायेगा।"।

Act No. 16 of 1908) and such entry shall be deemed to be a notice under the said Act.

- (4) Where the subject matter of the instrument is-
 - (i) a revenue land, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the Tehsildar concerned who shall enter the information in the land records; and
 - (ii) a land vested in, or placed at the disposal of, a local authority or a building or any part thereof situated within the area of a local authority, a copy of the charge entered into the indices under sub-section (3) shall be sent to the local authority concerned which shall get the information entered into the records maintained in respect of such land or building, as the case may be."
- 13. Insertion of section 63-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 63 and before the existing section 64 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-
 - "63-A. Invalidation of stamps and saving.- Notwithstanding anything contained in sections 58, 61, 62 and 63,-
 - (a) any stamp which has been purchased on or after the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2013 (Act No.... of 2013) (hereinafter referred to as "the said date") shall be used or presented for claiming allowance within a period of six months from the date of purchase. Any such stamp, which has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof within the period of six months from the date of purchase, shall be rendered invalid;
 - (b) any stamp which has been purchased but has not been used or no allowance has been claimed in respect thereof before the said date, may be used or presented for claiming the allowance under the relevant provisions of the Act within a period of six months from the said date. The stamp which has not been used or presented within the aforesaid period of six months shall be rendered invalid."
 - 14. Amendment of section 85, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 85 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1).-
 - (a) for the existing expression "clause (ia) and (xxxvi)", the expression "clause (ia) and (xxxvii)" shall be substituted;
 - (b) for the existing expression "records, papers documents or proceedings, the inspection", the expression "records including electronic records, papers, documents or proceedings, the inspection" shall be substituted:
 - (c) for the existing expression "Sub Divisional Officer", the expression "Tehsildar" shall be substituted; and
 - (d) for the existing expression "papers, documents and proceedings and to take", the expression "records including electronic records, papers, documents and proceedings and to take" shall be substituted; and
- (ii) in sub-section (2) for the existing expression "records, papers, documents or proceedings", the expression "records including electronic records, papers, documents or proceedings" shall be substituted.

CHAPTER V AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2008

15. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 11 of 2008.- In section 16 of the Rajasthan Finance Act, 2008 (Act No. 11 of 2008), for the existing expression "rupees five hundred", the expression "rupees five thousand" shall be substituted.

CHAPTER VI AMENDMENT IN THE RAJASTHAN CONTINGENCY FUND ACT, 1956

16. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 40 of 1956.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Contingency Fund Act, 1956 (Act No. 40 of 1956), for the existing expression "two hundred crores of rupees", the expression "five hundred crores of rupees" shall be substituted.